



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052022-235718
CG-DL-E-11052022-235718

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2085]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 2022/वैशाख 21, 1944

No. 2085]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2022/VAISAKHA 21, 1944

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2022

का.आ. 2193(अ).—सरकारी परिसर (अनाधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार दिनांक 10 जुलाई, 2015 की अधिसूचना संख्या सां.आ. 1861(अ) (फा. सं. 14/02/2015-पटसन) में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा नीचे तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारी को सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के नाते, उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्ति करती है, जो इस तालिका के कॉलम (2) में संगत प्रविष्टि सरकारी परिसरों संबंध में अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा अथवा इस अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और संपदा अधिकारी को दिए गए दायित्वों को निष्पादन करेगा:-

तालिका	
अधिकारी का पदनाम	सरकारी परिसर की श्रेणियां और अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा
श्री सौम्यादिप्त दत्ता, तकनीकी अधिकारी (ग्रेड-I), पटसन आयुक्त का कार्यालय, तृतीय एमएसओ बिल्डिंग, ई एंड एफ विंग, सीजीओ काम्पलैक्स, चतुर्थ फ्लोर,	सभी कार्यालय, परिसर, अतिथि गृह, शोरूम, खुदरा दुकानें, गोदाम, आवासीय क्वार्टर/आवास, बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट लि., 4, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता द्वारा लीज पर दी गई अथवा लीज पर ली गई, स्वामित्व वाली, कृषि भूमि सहित भूमि, जिसमें मिल परिसरों के भीतर अथवा बाहर स्वामित्व

सेक्टर-1, डीएफ ब्लॉक, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700064.	वाले लीज पर दिए गए अथवा लीज पर लिए गए कार्यालय परिसर, खुदरा दुकान, गोदाम कार्यशाला, कारखाने, आवासीय क्वार्टर सहित शामिल हैं।
---	--

[फा. सं. 19/1/2022-पटसन]

प्रजक्ता एल. वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**(JUTE SECTION)****NOTIFICATION**

New Delhi the 11 May, 2022

S.O. 2193(E).—In exercise of the power conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government in partial modification of Notification No. S.O. 1861(E) (F. No. 14/2/2015-Jute) dated 10 July 2015 hereby appoints the officer mentioned in Column No. (1) of table below, being Gazetted Officer of the Government to be the Estate Officer for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate officer by or under the Act, within the local limits of his respective jurisdiction, in respect of the Public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the Table:

TABLE

Designation of Officer	Categories of public Premises and local limit of Jurisdiction
Shri Soumyadipta Datta Technical Officer (Grade 1) O/o Jute Commissioner, 3 rd MSO Building, E&F wing, CGO complex, 4 th Floor, Sector-1, DF Block, Salt Lake city, Kolkata-700064	All offices, premises, guest houses, showrooms, retail shops, godowns, residential quarters/ accommodations, land including agricultural land owned, leased or held on lease by the Birds Jute & Exports Limited, 4 Netaji Subhas Road, Kolkata together with their offices, premises, retail shops, godowns, workshops, factories, residential quarters, premises owned, leased or held on lease within or outside the mills premises.

[F. No. 19/1/2022-Jute)

PRAJAKTA L. VERMA, Jt. Secy.